FORM NO III

फर्द अहकाम

अज अदालत– उपखण्ड अधिकारी मुकाम– धोद मु. सीकर

भूराराम बनाम तहसीलदार, धोद

किस्म मुकदमा– प्रार्थना–पत्र अ.धा. 136 एल आर एक्ट मु.नं. 17 /2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
16.02.2021	प्रार्थी भूराराम पुत्र मोटाराम जाति बलाई निवासी भिलूण्डा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर द्वारा आवेदन बाबत दुरूस्ती तहसीलदार, धोद के यहां पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बिंज्यासी तहसील धोद के खसरा सं. 37 रकबा 6.62 हेक्टेयर के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के पिता का नाम पूर्व्व जमाबंदी सम्वत् 2011 से 2014 व 2015 से 2018 के अनुसार मोटा पुत्र टोडा जाति बलाई नि. भिलूण्डा दुरूस्त मानते हुये प्रार्थी एवं उसकी माता के नाम से विरासत का नामान्तरकरण दर्ज किये जाने बाबत आदेश जारी किया जावें। उक्त आवेदन मय संलग्न दस्तावेजात आदि पर तहसीलदार, धोद से रिपोर्ट मय दस्तावेजात न्यायालय हाजा में पेश किये गये। तहसीलदार धोद से प्राप्त रिपोर्ट में अंकित किया है कि "ग्राम बिंज्यासी के साबिक खसरा सं. 2/1 रकबा 21 बीघा 11 बिस्वा वर्तमान खसरा सं. 37 रकबा 6.62 हेक्टेयर में जमाबंदी सम्वत् 2014–14 व 2015–18 में प्रार्थी के पिता का नाम मोटा वल्द टोडा जाति बलाई सा. भिलूण्डा दर्ज है। जमाबंदी सम्वत् 2019–22 में प्रार्थी के पिता का नाम मोटा के स्थान पर मोती पुत्र टोडा हो गया। अशुद्धि चालू बंदोबस्त से पूर्व की है। प्रकरण 136 के अन्तर्गत आता है। अतः प्रार्थी के पिता का नाम मोती पुत्र टोडा के स्थान पर मोटा पुत्र टोडा शुद्धि किये जाने की अभिशंषा की जाती है।" अतः मुताबिक तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट मय प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना उचित है। प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 एल आर एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। अतः तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर खसरा सं. 37 रकबा 6.62 हेक्टेयर के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के पिता का नाम मोतीसिंह पुत्र टोडा के स्थान पर मोटाराम पुत्र टोडाराम दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। पूर्व की प्रविष्टि से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदायित्व हो तो उसके निर्वहन एवं अदायगी के लिए प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। पालनार्थ तहसीलदार, धोद को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों। Signature Not Verified उपखण्ड अधिकारी धोद मु. सीकर Digitally signed by Mithlesh Kumar Date: 2021.02.22 17:09:24 IST Reason: SelfAttested	